

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 285/2025

रामफल पुत्र पूर्णमल, जाति बावरिया, पेशी खेती, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
—रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 18.08.2025 न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामफल अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 144/2025

उपस्थित :-

- श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
- श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से।

आदेश


दिनांक 13.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौड़जी के आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलान्त के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बरान 206 किस्म बंजड़ 2 रकबा 0.91 है० वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में से 0.65 है० भूमि पर अपीलान्त को अतिकमी घोषित कर मौखिक रूप से बेदखल करने हेतु व 200 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना अधिरोपित कर निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध में अपीलान्त ये अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 34/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्त गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने का अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फिया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्त को अतिकमी मानकर

जिला कलक्टर झुंझुनूं

बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 206 किस्म बंजड़ द्वितीय है जिन पर अपीलान्त का कदमी व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का होने के कारण उक्त भूमि पर पूर्व में विचाराधीन प्रकरण संख्या 70/2016 में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी ने अपने निर्णय दिनांक 19.08.2016 में भूमि खसरा न. 206 रकबा 0.91 है० किस्म बंजड़ द्वितीय में से 0.70 है० पर गैर सायलान का पुराना कब्जा साबित होना माना है तथा अपीलान्त अनुसूचित जाति का होने के कारण बेदखल नहीं करना उचित प्रतीत नहीं होना मानकर उक्त भूमि के नियमन की सिफारिश की गई है इसके बावजूद नियमन नहीं कर दुबारा उक्त भूमि से अपीलान्त को अतिकमी मानकर कानूनी बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा उक्त खसरा न. 206 रकबा 0.91 है० किस्म बंजड़ द्वितीय में से 0.65 है० से अपीलान्त/गैर सायल को उक्त आराजियात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज उक्त आराजियात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनू की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजियात का नियमन बहक अपीलान्त किए जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फिया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवार हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया गया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 144/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजियात व नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 34/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्त गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त


जिला कलक्टर झुंझुनू

ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने का अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फिया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 206 किस्म बंजड़ द्वितीय है जिन पर अपीलान्त का कदमी व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का होने के कारण उक्त भूमि पर पूर्व में विचाराधीन प्रकरण संख्या 70/2016 में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने निर्णय दिनांक 19.08.2016 में भूमि खसरा न. 206 रकबा 0.91 है0 किस्म बजड़ द्वितीय में से 0.70 है0 पर गैर सायलान का पुराना कब्जा साबित होना माना है तथा अपीलान्त अनुसूचित जाति का होने के कारण बेदखल नहीं करना उचित प्रतीत नहीं होना मानकर उक्त भूमि के नियमन की सिफारिश की गई है इसके बावजूद नियमन नहीं कर दुबारा उक्त भूमि से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर कानूनी बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा उक्त खसरा न. 206 रकबा 0.91 है0 किस्म बजड़ द्वितीय में से 0.65 है0 से अपीलान्त/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनू की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्त किए जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फिया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवार हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया गया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एकट मु.नं. 144/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजियात व नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

जिला कलक्टर झुंझुनू

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम खटकड़ स्थित भूमि ख0न0 206 रकबा 0.91 है0 किस्म गैर मुमकीन बंजड़2 में से 0.65 हैक्टर भूमि में अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम खटकड़ स्थित भूमि ख0न0 भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़2 में से 0.65 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात् पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 18.08.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुये तथा साक्ष्य सबूत पेश करने अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू